न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :– 28/2015

विरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर

आवेदक

बनाम

1. डिम्पी बंसल पुत्र श्री भीमसैन बंसल (विक्रेता)
   मैसर्स गोवर्धन स्वीटस आजाद चौक कोटपूतली, जयपुर निवासी इन्द्रा बाजार, आजाद चौक, कोटपूतली (जयपुर)
2. श्री भीम सैन बंसल (प्रोपराईटर)
   मैसर्स गोवर्धन स्वीट्स आजाद चौक कोटपूतली, जयपुर निवासी इन्द्रा बाजार आजाद चौक, कोटपूतली (जयपुर)

अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ एस एस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय दिनांक 23.1.19

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ एस एस एक्ट रूल्स 2011 के तहत् परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 28/4/2015 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 07/8/2014 को 5.00 पी.एम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ आजाद चौक कोटपूतली जिला जयपुर स्थित मैसर्स गोवर्धन स्वीट पर पहुंचा वहां पर श्री डिम्पी बंसल पुत्र श्री भीम सैन बंसल उपस्थित मिले, जिनको खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया पुछने पर डिम्पी उक्त फर्म का विकेता होना बताया वहां पर स्टील के ट्रे में लगभग 3 किलो मिल्क केक (मावा मिठाई) रखी हुयी थी। उक्त मिल्क केक (मावा मिठाई) में गुणवता में कमी एवं उक्त एक्ट उल्लघंन का तथा मिलावट होने का अंदेशा होने पर गवाहन की उपस्थिति में 2 किलो ग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) एक खाली साफ एवं सुखे बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर किमत 520/– रू. विकेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्ति की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहन को पढकर सुना कर हस्ताक्षर करने के कहाँ जिसे पढकर समझकर हस्ताक्षर डिम्पी बंसल द्वारा किये जिसकी एक प्रति विक्रेता को देकर प्राप्त की जो आवेदन पत्र के संलग्न है।

Scanned by CamScanner

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिल्क केक (मावा मिठाई) को एक रूप कर चार खाली कॉच की बोतले दिखाकर प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर मात्रा में विकेता एवं गवाहन को दिखाकर डाला तथा प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतलो के ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द कर लेवल चिपकाये तथा लेबलों पर मुख्य चिकित्या अधिकारी जयपुर प्रथम के कोड एवं कमांक ई–1512 दर्ज किया जिस पर विकेता, गवाहन एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये उक्त चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप ई–1512 चारों नमुना बोतलों पर निचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया जिन पर विकेता गवाहन एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तस्दीक कर हस्ताक्षर कर अपने कब्जे में लिया।
4. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आफिस पहुंचकर फार्म नं. 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के अनुसार कवर में सीलबन्द मोहर कर विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज. जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो अवेदन पत्र के संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति आउटर रे. एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज. जयपुर को जमा करा कर फार्म 6 रसीद प्राप्त की शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर नमूने का चौथा भाग अनिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवंस्वा. अधिकारी जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आदेदन के साथ संलग्न है।
5. परिवादी सुरक्षा अधिकारी को ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स. एल एस 1344/एक्ट/2014/1069 दिनांक 29/9/2014 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमुना विकय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) अमानक (सग स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। जिसमें जांच रिपोर्ट आवेदन के संलग्न है । अतः समस्त रिकॉर्ड दस्तावेजात् की प्रतियों के साथ इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त केश में अभियुक्त गण द्वारा अमानक (सब स्टेण्डर्ड) मिल्क केक (मावा मिठाई) का निमार्ण एवं विकय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्घंन किया है जो उक्त धारा के तहत् जुर्माना निर्धारित किया जावें।
6. प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर गैर सायल/अभियुक्त की सुनवायी के लिए नोटिस जारी किये गये।
7. गैर सायला की ओर से जिरये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्रार्थी/गैर सायला संख्या 2 भीम सैन का नाम गलत बेबुनियाद अंकित किया गया है ना तो परिवार का सदस्य के कारण अंकित है ना ही कोई दस्तावेजात् अंकित है। उत्तरदाता का यह मौलिक अधिकार है कि किसी भी एन ए बीएल प्रत्यशित विश्लेषण के लिए अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजने क, अधिकार है, जिसके लिए परिवादी को प्रार्थी उत्तर दाता का एफ एस एल रिपोर्ट आने की देनी आववश्यक थी। वह सूचना रिस्टर्ड पत्र के द्वारा प्रार्थी उत्तर दाता को सूचना देना आवश्यक था परिवादी ने प्रार्थी/उत्तरदावा को कोईसूचना नहीं दी इसलिए पुनः जांच के लिए आवेदन करने में महरूम रहा है, जिससे मौलिक अधिकार का हवन हुआ है। उत्तर दाता को कभी सूचना नहीं दी ना ही सूचना प्राप्त हुयी अब परिवाद में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी/उत्तरदाता को ज्ञात हुआ है। इसलिए निवेदन करता हू कि तथाकथित सम्पल को पुनः जांच हेतु अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजकर परिक्षण कराया जावें, जिसके लिए प्रार्थी/उत्तरदाता नियमानुसार वांछित फीस जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थी उत्तरदाता एक छोटा दुकानदार है जिसमे मिल्क केक का नमुना लेना परिवाद पत्र में बताया है वह प्रार्थी/उत्तरदाता के द्वारा ना तो निर्मित है बल्कि वह

Scanned by CamScanner

सामान अलवर से कय किया हुआ था, लेकिन प्रार्थी/उत्तरदाता छोटा व्यवसायी होने से उसका खरीद का बिल गुम होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सका तथा ना ही उपलब्ध करवा सकता है। जिस वस्तु का निर्माता उत्तरदाता नहीं है उसके लिए प्रार्थी/उत्तरदाता को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। परिवाद पत्र में अपने पद का गलत फायदा उठाकर परिवाद पत्र पेश किया है। वह अस्वीकार है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवाद गलत बेबुनियाद होते हुए कानून का उल्घंन करते हुए प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

8. हमने बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत का अवलोकन किया प्रकरण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिल्क केक (मावा मिठाई) में मिलावट का शक होने पर विधिवत नमूना लेकर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ (मावा मिठाई) (अमानक सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया है। गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि परिवादी ने नमुना भेजने की कोई सूचना उत्तरदाता को नहीं दी। इसलिए उत्तरदाता प्रार्थी पुनः जांच के लिए आवेदन करने में महरूब रहा जिससे उनके मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है, जबकि प्रार्थी उत्तर दाता एक छोटा दुकानदार है। मिल्क केक का नमूना लेना परिवाद पत्र में बताया है । वह प्रार्थी उत्तरदाता द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि वह सामान अलवर से कय किया हुआ था उसका खरीद का बिल गुम होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर सका ना ही उपलब्ध करवा सकता है। जिस वस्तु का निर्माता नहीं है उसके लिए प्रार्थी उत्तरदाता को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। बिना ठोस साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर मिल्क केक (मावा मिठाई) के नमूनों को प्रकरण में प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्टों को गलत नहीं माना जा सकता/अभियुक्त अलवर से मावा मिठाई कय करना बताया है तो उसका बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तत समय दिया जाना आवश्यक था। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट गलत नहीं बताई जा सकती है। इस प्रकार अभियुक्त/गैर सायलान की मिल्क केक (मावा मिठाई) नमुना की जांच रिपोर्ट से सब स्टेण्डर्ड होना प्रकट होता है। नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्घंन है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसरण में दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त डिम्पी बंसल पुत्र श्री भीमसैन बंसल विक्रेता व श्री भीमसैन बंसल प्रोपराइटर मैसर्स गोवर्धन स्वीटस आजाद चौक कोटपूतली जिला जयपुर पर रू. 10000 (दस हजार रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है इसे जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा करवाकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आदिनांक 23.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

न्याय निर्णायक अधिकारी,
अतिरिक्त कलक्टर
कोटपूतली, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner